तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07-11-2023	**एकल–पीठ** **श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य** **<u>उपस्थितः</u>** श्री हगामीलाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी। श्री राजेश गौतम अधिवक्ता अप्रार्थी। –––– **<u>आदेश</u>** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा प्रकरण सं0 21/2003 में पारित निर्णय दिनांक 22–8–2003 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी सं0–1 से 7 की ओर से न्यायालय तहसीलदार, परबतसर के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अप्रार्थी सं0–1 से 4 इस आशय का पेश किया कि ग्राम भवानीग्राम में आम रास्ता जो कदीमी चलता है। उक्त रास्ता खसरा नंबर 108/4 के पश्चिम में बरेव से पक्की ग्रेवल सड़क के रूप में बनी हुई है तथा आगे यह रास्ता खसरा नंबर 108/4 के पश्चिम में होकर खसरा नंबर 108/9 के पश्चिम होता हुआ खसरा नबर 108/10 के पश्चिम होता हुआ सरकारी पड़त में मिल जाता है तथा यह आम रास्ता ग्राम बरेव को भवानीगांव से मिलाता है। इस रास्ते को प्रार्थीगण कदीम से बिना किसी रोक–टोक के शान्तिपूर्वक लगातार बतौर सुखाधिकार उपयोग उपभोग में ले रहे है जिससे प्रार्थीगण को पूर्णतया कानूनी हक प्राप्त हो चुका है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास और कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 108/4 के दक्षिण में व खसरा नंबर 108/9 के उत्तर में आम रास्ता कदीम से चलता है, जो राबडियाद, बागोट से आता है, जिस पर बस भी चलती है तथा यह रास्ता बरेव में भवानीगांव के रास्ते में मिल जाता है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 27–02–2003 को आम रास्ते को खन्दक लगाकर के बन्द कर दिया। अतः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नजरी नक्शी में बन्द किये गये कदीमी रास्ते को तुरन्त खुलवाया जाए। तहसीलदार द्वारा द्वारा ग्राम पंचायत को अपने पत्र क्रमांक 237 दिनांक 28-02-2009 द्वारा इस संबंध में उचित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया, जिन्होंने दोनों पक्षों को आवश्यक नोटिस जारी किये तथा मौका निरीक्षण कमेटी पंचायत तथा पटवारी से मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 05-03-2003 को प्रस्तुत करने का आदेश दिया। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत बरेव ने आदेश दिनांक 05-03-2003 के द्वारा उपस्थित पक्षकारान की सुनवाई कर ग्राम भवानी गांव के खसरा नंबर 108/8 की पूर्वी बाड़ के सहारे सहारे (पास-पास) यानि खसरा नंबर 108/9 व 108/10 की पश्चिमी खेत 108/8 में 30 फुट चौड़ाई में सम्पूर्ण खेत की लम्बाई तक खसरा नंबर 108/4 में दक्षिणी सींव के पास पास 25 फुट चौड़ाई में खेत की लम्बाई तक रास्ता खोल जाने का आदेश दिया। ग्राम पंचायत, बरेव के आदेश दिनांक 05-03-2003 से व्यथित होकर अप्रार्थी सं0-1 से 4 सरजू वगैरह ने न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22-8-2003 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर ग्राम पंचायत, बरेव के आदेश दिनांक 05-03-2003 को अपास्त किया एवं प्रकरण ग्राम पंचायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि जिला कलक्टर द्वारा निर्णय में अंकित आब्जरवेशन को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को नोटिस देकर पर्याप्त सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर तीन माह में निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय दिनांक 22-8-2003 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। 3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। 4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी-मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किया कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी सं0 1 से 4 को विधिवत सुनवाई का नोटिस एवं सबूत साक्ष्य के पर्याप्त अवसर देकर कदीमी रास्ते को खुलाने की आज्ञा पारित की, जिसे जिला कलक्टर ने बिना किसी आधार के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी सं0 1,2 व 4 को नोटिस तामील होना एवं सुनवाई का अवसर नहीं देना अंकित कर आदेश पारित किया है, जो उपलब्ध नोटिस पर अंकित रिपोर्ट के विपरीत होने से जिला कलक्टर का आदेश इस बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया था कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खेतों पर जाने, चारागाह में जाने व गांव जाने के कदीमी रास्तों को खसरा नंबर 108/4 व 108/8 में अवरोध लगाकर बन्द कर दिया है। जिसे ग्राम पंचायत से विधिवत रूप से जांच कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट व मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं सिविल कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर की रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण के बयान आदि के आधार पर रास्ता खुलवाने के आदेश दिये है जिसे जिला कलक्टर ने सरसरी तौर पर समस्त तथ्यों पर गौर नहीं कर बिना किसी आधार के आक्षेपित आदेश दिनांक 22-8-2009 से निरस्त किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर ग्राम पंचायत से उभय पक्षकारान को नोटिस प्रेषित किये जिसमें प्रार्थीगण ग्राम पंचायत के समक्ष पेश हुए किन्तु अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने स्वयं का नोटिस एवं अप्रार्थी सं0 3 व 4 का नोटिस लेने से इन्कार करने पर ग्राम पंचायत के चपरासी ने नाटिस दो गवाहों की मौजूदगी में अप्रार्थी सं0 1 से 4 के आबाद मकान पर चस्पा करा दिये। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 से 4 की नोटिस तामील विधिवत हुई तथा अप्रार्थी सं0 3 अमराराम स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं जिससे अप्रार्थीगण का नोटिस तामील होने की सुनिश्चिता हुई। इसके बावजूद अप्रार्थीगण सं0 1, 2 व 4 अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरूद्ध सड़क नहीं बनाने हेतु वाद पेश कर रखा है जबकि प्रार्थी ने धारा 251 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र कदीमी रास्ते के अवरोध हटाने के लिए पेश किया है जिससे पटवारी की रिपोर्ट व मौका कमिश्नर रिपोर्ट मौके पर रास्ता होने एवं उक्त रास्ते का डोल लगाकर अवरोध करना बन्द करना साबित है, जिस पर ग्राम पंचायत ने विधिवत रूप से रास्ते खुलवाने का आदेश दिनांक 05-03-2003 को पारित किया है परन्तु जिला कलक्टर ने प्रकरण का गहनता से अवलोकन एवं जांच नहीं कर आलोच्य आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर का आदेश दिनांक 22–8–2003 निरस्त किया जावे तथा ग्राम पंचायत, बरेव का आदेश दिनांक 05–03–2003 यथावत कायम रखा जावे। 5– इसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम भवानी गांव के खसरा नंबर 108/4 व 108/8 सरजूदेवी व कमलादेवी की खातेदारी खेत है। इस खेत के पूर्व एवं पश्चिम दोनों तरफ रिकार्ड में कटाणी रास्ते मौजूद है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने नया रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया है। अप्रार्थी का इस रास्ते से कोई आवागमन नहीं है। ग्राम पंचायत ने आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी सं0 1,2 व 4 को न तो विधिवत नोटिस दिये न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। ग्राम पंचायत के समक्ष उन्होंने यह बता दिय था कि विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय, परबतसर में मामला चल रहा है जिसमें स्थगन आदेश होने से खसरा नंबर 108/4 व 108/8 में से सड़क नहीं निकाली जावे तथा सड़क कटाणी रास्ते से निकाली जावे। मगर इसके बाद भी ग्राम पंचायत ने कटाणी रास्ते से रास्ता कायम न कर अप्रार्थीगण की भूमि से नया रास्ता कायम करने का आदेश दिया है। इन सभी तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए जिला कलक्टर, नागौर ने अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण ग्राम पंचायत को दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है, जो कि विधिसम्मत आदेश है, जिसमें निगरानी के जरिये हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानी प्रार्थी खारिज फरमाई जावे। 6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 7– प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम भवानीग्राम के खसरा नंबर 108/104 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा को खसरा नंबर 108/8 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा अप्रार्थी सरजू देवी व कमला देवी की खातेदारी में अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 24–03–2003 पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने से पूर्व खातेदार सरजूदेवी व कमला देवी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, विधि अनुसार जब किसी खातेदार की भूमि को प्रभावी करने वाला आदेश पारित किया जाता है तो प्रभावित खातेदार को सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थी सं0 3 अमराराम द्वारा वादग्रस्त रास्ते से संबंधित एक प्रकरण सिविल न्यायालय परवतसर में दायर कर रखा है, जो विचाराधीन होना ग्राम पंचायत को बताया गया है। इस बाबत भी ग्राम पंचायत ने अपना कोई मत प्रकट नहीं किया है। प्रश्नगत रास्ते बाबत् प्रकरण सिविल न्यायालय में जैरकार होना दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं, ऐसी स्थिति में प्रभावित सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की नवीनतम स्थिति को अभिलेख पर लेने के पश्चात् ही ग्राम पंचायत को रास्ते बाबत निर्णय पारित करना चाहिए था। मण्डल के समक्ष यह प्रकरण वर्ष 2003 से लम्बित है। सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की नवीनतम स्थिति क्या है, ग्राम पंचायत को वक्त निर्णय इस तथ्य पर भी विचार करना आवश्यक है। इस विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर, नागौर ने प्रकरण को ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। 8– परिणामतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। प्रकरण वर्ष 2003 से न्यायालयों के समक्ष लम्बित है इसलिए ग्राम पंचायत, बरेव से अपेक्षा की जाती है कि वह उभय पक्ष को सुनकर इस प्रकरण का अधिकतम तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें। 9– उभय पक्षकारान को ग्राम पंचायत, बरेव के समक्ष दिनांक 20–11–2023 उपस्थित होने के पाबंद किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(भंवर सिंह सान्दू)** **सदस्य**	